हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

61वी बैठक का एजेण्डा

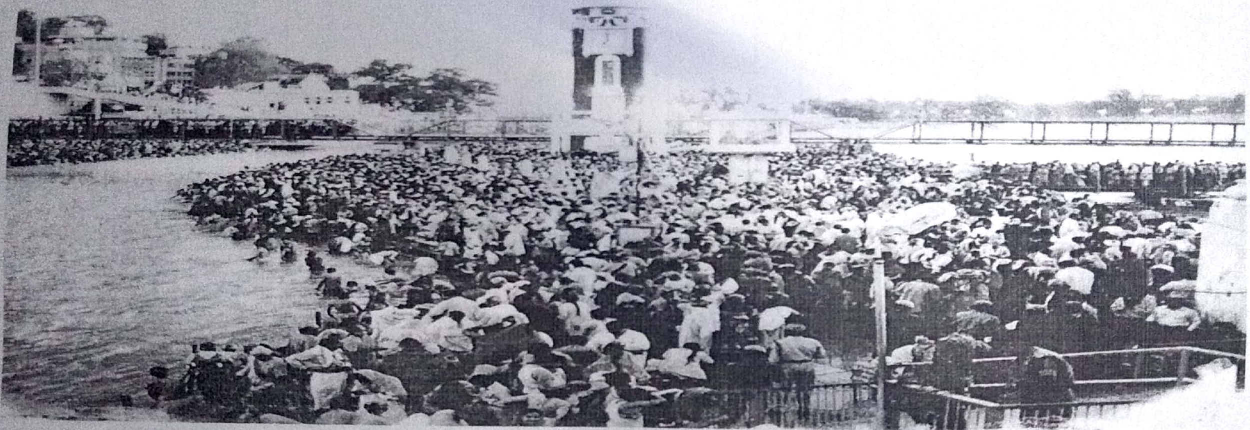

दिनांक: 02 / 01 / 2017 (परिचालन विधि से)

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, तीर्थाटन / पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
11. अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल।
12. अध्यक्ष, नगर पंचायत, रानीपुर हरिद्वार।
13. श्री इरशाद खान (गैर सरकारी सदस्य) 171 / 152 मेहतान, पीठ बाजार, ज्वालापुर हरिद्वार।
14. श्री नमन अग्रवाल (गैर सरकारी सदस्य) अदर्श नगर, भोपतवाला, हरिद्वार।

संख्या : 1988 / प्रशा0–2(क)–22 / 79 / 2016–17 दिनांक: 03 जनवरी, 2017

विषय : हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (भवन निर्माण एंव विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू–उच्चीकरण शुल्क से सम्बन्धित प्रस्तर–3.3 में आशिक रूप से संशोधन करने तथा स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक) 61 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 (परिचालन के माध्यम से) सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि:

मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को उनके आदेश दिनांक 02.01.2017 के कम में सादर सूचनार्थ।

सचिव

152

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

संख्या 1989 / प्रशा0 2(क) 22 / 79 / 2016–17 दिनाक 03 जनवरी 2017

1– उप सचिव, शाखा कार्यालय, ह0रू0वि0प्रा0, ऋषिकेश।
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– अधिशासी अभियंता, ह0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
4– समस्त सहायक अभियंता, ह0वि0प्रा0, हरिद्वार।
5– समस्त अवर अभियंता / लेखाकार / प्रशासनिक अधिकारी / समस्त सहायक।
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (भवन निर्माण एव विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू–उच्चीकरण शुल्क से सम्बन्धित प्रस्तर–3.3 मे आशिक रूप से संशोधन करने तथा स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक) 61 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 (परिचालन के माध्यम से) सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है, कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपि:

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 61 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

मद संख्या–61(01)

विषय:– भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू–उच्चीकरण सम्बन्धी प्राविधान में संशोधन के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या 1704/V–2–2016–67(आ0)/2016 दिनांक 11 नवम्बर 2016 द्वारा भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू–उच्चीकरण शुल्क सम्बन्धी प्राविधान मे संशोधन में शासन के पत्र संख्या 2013/V–2015–55(आ0) 2006–टी0सी0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त उपविधि/विनियम को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने हेतु निम्न प्रकार निर्देशित किया गया है।

2. उक्त शासनादेश में भू–उच्चीकरण शुल्क से सम्बन्धित प्रस्तर–3.3 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्न विवरणानुसार संशोधित प्राविधान एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

बिन्दु संख्या	भवन उपविधि 2011 (संशोधन 2015) में निहित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर 3.3	(vi) तकनीकी अनापत्ति उपरांत आवेदक द्वारा भू–उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरांत मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा– ऐसे विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र /विशेष विकास क्षेत्र, जिनकी महायोजना स्वीकृत न होने के कारण भू–उपयोग निर्धारित नहीं है, में सम्बन्धित भूमि को कृषि/अविकसित /बंजर मानते हुए समस्त प्रकरणों का गुण–दोष के आधार पर अनुमन्य होने की स्थिति में भू–उच्चीकरण शुल्क एंव सीवर एंव ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाहय विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा। 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों एंव एकल आवासीय भवनों को छोडकर सभी प्रकार के प्रयोजन के भवनो पर भू–उच्चीकरण शुल्क देय होगा। जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, मे सम्बन्धित भू–उपयोग मे अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षणोपरांत तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एंव ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।	तकनीकी अनापत्ति उपरांत आवेदक द्वारा भू–उच्चीकरण शुल्क एंव बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरांत मानचित्र स्वीकृति किया जायेगा– ऐसे क्षेत्र जिनमें महायोजना लागू नही है, में भू–उच्चीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा– (1) चूंकि नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बाहुल्य रूप से निर्मित क्षेत्र स्वरूपीय होता है, अतः भू–उच्चीकरण शुल्क नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत देय नहीं होगा। (2) नगर निकाय सीमा के बाहर के क्षेत्रों मे 2000 वर्गमी0 एंव इससे अधिक क्षेत्रफल के भू–खण्डों को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुए सम्बन्धित भूखण्ड मे प्रस्तावित गैर सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि तथा उच्च तकनीकी संस्थाओं हेतु भू–उच्चीकरण शुल्क देय होगा। (3) भू–उच्चीकरण शुल्क कृषि से प्रस्तावित गतिविधि हेतु निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का आधा होगा। जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, मे सम्बन्धित भू–उपयोग में अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षणोपरात तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एंव ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 08.12.2015 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार भवन निर्माण एव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) मे भू–उच्चीकरण सम्बन्धी प्राविधान मे संशोधन, प्राधिकरण की 61वी बोर्ड बैठक मे अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमादित।

मद संख्या 61 (02)

विषय:– स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।

1– हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01–09–2016 की मद संख्या–60(3) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिचालन के माध्यम से स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 में प्रस्तावित प्रखण्डों के अन्तर्गत जोन–1 से 6 तक के जोनल डेवलपमेंट प्लान (प्रारूप–2025) का अनुमोदन किया जाता है एवं जोनल प्लान के मानचित्र व रिपोर्ट को हिन्दी में तैयार करते हुये दिनांक 11 जनवरी, 2017 से 11 फरवरी, 2017 तक जनसामान्य एवं विभिन्न अभिकरणों से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रर्दशनी का आयोजन किया जाये।

2– प्राप्त आपत्ति एंव सुझावों के निराकरण एवं सुनवाई हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है :–

1– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
3– अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

3– हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01–09–2016 की मद संख्या–60(3)(ब) व (स) के अन्तर्गत सहयुक्त नियोजक के पत्र संख्या– मेमो दिनांक 02–11–2016 द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में सेवा निवृत्ति के उपरान्त सर्वेक्षण अनुभाग में कोई भी कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण ऋषिकेश एवं रूड़की महायोजना कार्य हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सेवा निवृत्त अनुभवी कार्मिकों की सेवायें लिये जाने का निर्णय लिया गया था। अतः विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि किसी कन्सलटेन्सी के माध्यम से अनुभवी कार्मिकों की सेवा लेते हुये ऋषिकेश तथा रूड़की महायोजना का कार्य सम्पन्न कर लिया जाय। कतिपय कारणों के कारण इसका उल्लेख प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक में नहीं हो पाया है। अतः उक्त को समायोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ऋषिकेश महायोजना कार्य हेतु आने वाले व्यय यथा

यात्रा भत्ता देयक, स्टेशनरी आदि एवं महायोजना प्रारूप प्रदर्शनी सम्बन्धी कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 3.0 लाख की मांग सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून द्वारा की गयी है, के सम्बन्ध में वांछित धनराशि सहयुक्त नियोजक को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

वरिष्ठ नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम,
हरिद्वार

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
ऋषिकेश

(इरशाद खान)
सदस्य,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

(नमन अग्रवाल)
सदस्य,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मुनि की रेती
टिहरी

अध्यक्ष, 2/01/2017
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।